मेजर एडम ने सन् 1763 ई. में मीर कासिम को पराजित कर संथाल परगना क्षेत्र को अंग्रेजों के अधीन कर लिया था। आरंभ में कैप्टेन बुक, कैप्टेन ब्राउन तथा अगस्त क्लिवलैंड द्वारा यहां का शासन संभाला गया था। संथाल परगना में संथाल सिंहभूम एवं बीरभूम से आकर बस गए थे। बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों से साहूकार, महाजन तथा व्यापारी भी यहां आकर रहने लगे थे।

क्लिवलैंड स्थानीय लोगों की सहायता से इस क्षेत्र में स्कूल, हाट-बाजार तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था लागू किए थे। इससे स्थानीय लोग उनसे बहुत खुश थे। लेकिन क्लिवलैंड के बाद क्लिवलैंड योजना को समाप्त कर दिया गया।

सन् 1823 ई. में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने प्रत्यक्ष अधिकार में ले लिया था। इस क्षेत्र को दमिन-ए-कोह कहा गया। 1837-38 में इसके सामान्य शासन के लिए एक सुपरइनटेंडेंट, जेम्स पोटेंट की नियुक्ति की गई। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई भागलपुर के मजिस्ट्रेट के यहां होती थी। पुलिस थाना भागलपुर, बीरभूम और बहरामपुर—मुर्शिदाबाद से जोड़ दिया गया था। फौजदारी मामले में यहां के लोगों को भागलपुर जाना पड़ता था। इससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। कचहरी के आमला, मुख्तार, पिऊन, बरकंदाज इत्यादि उनसे नाजायज लाभ उठाते थे। संपूर्ण शासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। संथाल विद्रोह का यह भी एक बहुत बड़ा कारण था।

संथालों द्वारा संथाल परगना में जंगलों की सफाई कर ग्राम बसाया गया था। जंगलों की सफाई कर ग्राम की कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया था। सन् 1851 तक संथाल परगना में 1473 संथालों के गांव बस गए थे। धीरे-धीरे उनके क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ। ये लोग बंगाली जमींदार तथा साहूकार, महाजन एवं व्यापारी थे। इन बाहरी लोगों के आने के पहले संथाल गांवों की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी। बाहरी लोगों द्वारा उनके बीच मुद्रा अर्थ व्यवस्था लाई गई। जमींदारों तथा महाजनों की दृष्टि गरीब भोली-भाली संथालों की जमीनों पर गड़ी हुई थी। जमींदार तथा महाजन संथालों को रकम कर्ज पर दिया करते थे। कर्ज पर सूद देना पड़ता था। समय पर सूद नहीं चुका देने पर सूद भी मूल बन जाता था। एक बार कर्ज एवं सूद के चपेट में आ जाने पर संथालियों को उनसे

Scanned with CamScanner

निकलना असंभव था। उन्हें आजीवन महाजनों के अधीन रह जाना पड़ता था। महाजन कर्ज तथा सूद में उनके फसल, पशु, मुर्गा-मुर्गी तथा महिलाओं के आभूषण तक छीनकर ले जाते थे। महिलाओं की इज्जत से भी खेला करते थे तथा पुरुषों से बेगार भी लेते थे।

अंग्रेज लोग भी संथालों को शोषित करने में पीछे कहां रहने वाले थे। उनके द्वारा संथाल की जमीनों पर कर लगा दिया गया था। मालगुजारी की राशि दिनों-दिन बढ़ती ही जाती थी। 1936-37 में जहां संथालों से 2617 रुपये मालगुजारी के रूप में वसूल किए जाते थे, वहीं सन् 1954-55 में उनसे 58,033 रुपये वसूल किए जाने लगे। संथाल जमीन पर मालगुजारी नहीं देना चाहते थे। वे लोग अपनी कमाई से जंगल-झाड़ साफ करके जमीन बनाए थे। मालगुजारी के तहसीलदार उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करता था। उनसे मनमाना धन वसूलता था। उनकी बहु-बेटियों पर भी कुदृष्टि रखता था। वह युवजनों से बेगार लेता था। अंग्रेजों तथा उनके आदमियों के व्यवहार से संथाल बहुत दुखित हो गए थे।

संथाल लोग निलहे गोरे के अत्याचार से भी त्रस्त थे। आरंभ में निलहे गोरों ने संथाल लोगों को नील की खेती के लिए प्रोत्साहित किया। बाद में निलहे गोरे द्वारा उनका शोषण आरंभ हुआ। कोराया, आसनबनी, राजमहल, व्यालपुर, बलबता, डकैता तथा गोड्डा में निलहे गोरों की कोठियां खड़ी हो गई। संथाल लोग निलहे गोरे के शोषण के विरोध में न्यायालय भी गए, लेकिन न्यायालय में उनकी बात नहीं सुनी गई।

विवश होकर संथालों ने 25 जुलाई, 1855 को संथाली बोली तथा कैथी भाषाओं में निलहों के खिलाफ एक घोषणा पत्र तैयार किया। इसी समय अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा राजमहल के पास रेल लाइन बनाया जा रहा था। अंग्रेज ठेकेदारों ने तीन महिला श्रमिकों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया। इस अनैतिक व्यवहार से आक्रोशित होकर संथालों ने अंग्रेज ठेकेदारों पर आक्रमण कर दिया तथा तीन को मौत के घाट उतार दिया। अपहृत महिलाओं को उनके चंगुल से भी छुड़ा लिया गया।

सन् 1854 ई. में लछिमपुर के खेतौरी राजा बीर सिंह ने संथालों को संगठित होने के लिए ललकारा। बीरभूम के रंगा ठाकुर ने भी संथालों को संगठित करने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय बीर सिंह मांझी, कोलाह परमानिक तथा डोमा मांझी संथालों के प्रमुख नेता थे। जिनके नेतृत्व में संथाल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उनके बाद ही सिदो-कानु को संथाल क्रांति का अग्रदूत के रूप में मान्यता मिली थी।

बघनाडिह निवासी चुन्नू मांझी के चार पुत्र थे—सिदो, कानू, चांद तथा भैरव। चारों भाई आरंभ से ही बीर एवं साहसी थे। उनका अच्छा-खासा प्रभाव संथालों के साथ-साथ अन्य जातियों जैसे चमार, कुम्हार, तेली, लोहार, डोम तथा मोमिन जातियों पर था। आंदोलन के समय इन जातियों से उन्हें बहुत ज्यादा सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। आंदोलन के समय लोहारों कुठार, तीर तथा अन्य लौह निर्मित अस्त्र-शस्त्र दिए थे। चमार जाति के लोग नगाड़ा बनाकर दिए थे। आंदोलन आरंभ करने के पहले सिदो ने संथालों के प्रमुख देवता मरांगबुरू तथा देवी जैहेराएरा का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसने अपने तीनों भाइयों के

Scanned with CamScanner

माध्यम से संथालों को अपने गांव बघनाडीह में एकत्रित होने के लिए निमंत्रण भिजवाया। 30 जून, 1855 को बघनाडीह में 10,000 संथाल अपने परंपरागत अस्त्र-शस्त्र के साथ आ गए थे। इसी दिन संथालों द्वारा दमिन-ए-कोह क्षेत्र में संथाल राज्य की स्थापना की गई। सिदो को संथाल राज का गवर्नर बनाया गया। कान्हु को उसका सलाहाकर नियुक्त किया गया। चांद को प्रशासक तथा भौरव को सेनापति बनाया गया। संथालों ने सरकारी आज्ञा नहीं मानने की कसम खाई तथा लगान नहीं देने की प्रतिज्ञा की।

7 जुलाई, 1855 ई. को सिदो ने सबसे पहले एक दारोगा की हत्या की जो संथालों को गिरफ्तार करने गया था। जब यह समाचार संथाल राज्य में फैला तब जगह-जगह सरकारी कर्मचारियों की हत्या होने लगी। गोड्डा में प्रताप नारायण तथा पंचकटिया में सजावल खां की बलि दी गई। कई डाक घर जला दिए गए। टेलीफोन के तार काट दिए गए तथा रेलवे स्टेशनों पर कब्जा कर लिया गया। संथाल विद्रोह को शांत करने के लिए भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन ने मेजर बेरो को राजमहल भेजा। दानापुर से विशेष फौज भेजी गई। बीरभूम, बांकुड़ा, सिंहभूम, मुंगेर तथा पूर्णिया के जिलाधीशों ने अपनी-अपनी फौजें भेजी। सिदो ने यह जानकर संथाल सैनिकों की चक्रव्यूह रचना की। उसने संथाल सैनिकों को कई भागों में बांट दिया। 20 हजार संथाल वीरों ने अंबरपुर परगना पर धावा बोलकर वहां के राजा को राजभवन से खदेड़ दिया गया। संथाल सेना ने प्यालापुर की कोठियों पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ी। मेजर बेरे एक बड़ी सेना की टुकड़ी के साथ संथालों का मुकाबला करने आया। संथालों ने जमकर मुकाबला किया। वर्षा के कारण अंग्रेज सेना के बारूद भीग गया। उनकी बंदूकों ने काम करना बंद कर दिया। इससे अवगत होकर संथाल उत्साहित हुए। उनमें असीम साहस का संचार हुआ। इस युद्ध में सार्जेंट ब्रोडेन मारा गया। अंग्रेज सैनिक भयभीत होकर भाग गए। निलहेगोरों की कोठियां लूट ली गईं। संथालों का प्रभाव कहल गांव से राजमहल तथा दक्षिण में रानीगंज तक फैला हुआ था, संथाली सेना वीरभूम में अपना अधिकार जमा लिया था। रघुनाथपुर तथा संग्रामपुर में अंग्रेजी सेना संथाली सेना के हाथों पराजित हो गई थी। लेकिन महेशपुर में संथाल वीरों को पराजय का सामना करना पड़ा था। यहां अनेक संथाल शूरबीर शहीद हो गए थे। सिदो के लिए यह घटना अत्यंत दुखदायी थी। इस युद्ध में चांद और भैरव गोली के शिकार हो गए थे। वर्षा ऋतु के कारण गुरिल्ला युद्ध का संचालन भली-भांति नहीं हो पा रहा था। जामताड़ा के पास कानु को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपने ही आदमियों के विश्वासघात के कारण सिदो को भी कैद कर लिया गया था। दोनों भाइयों को बड़हैत में खुलेआम फांसी दी गई थी।

सिदो-कानों की मृत्यु के बाद भी संथाल वीरों ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। 15 अगस्त, 1855 को कंपनी सरकार ने दस दिनों के अंदर संथाल विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का सुझाव दिया। लेकिन इस सुझाव एवं घोषणा का कोई प्रभाव संथालों पर नहीं पड़ा। अंत में 14 नवंबर, 1855 को पूरे संथाल परगना में मार्शल ला लागू कर दिया गया।

Scanned with CamScanner

25 हजार फौज पूरे जिले में रख दी गई। इस विद्रोह में करीब 10 हजार संथाल वीर शहीद हुए थे। सिदो की मृत्यु के बाद सशक्त नेतृत्व के अभाव में संथाल विद्रोह सफल नहीं हो सका। लेकिन इस आंदोलन एवं विद्रोह के कारण कंपनी सरकार को अपनी नीति में निम्नलिखित परिवर्तन लाना पड़ा था—

1. संथाल विद्रोह के बाद अधिनियम 1855 अस्तित्व में आया। इस नियमावली के अनुसार संथालों के दमिन-ए-कोह जिला तथा अन्य जिलों को आम कानून के प्रभाव से स्वतंत्र कर दिया गया।

2. दमिन-ए-कोह क्षेत्र को भागलपुर तथा वीरभूम जिलों से अलग कर संथाल परगना नामक जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना को नॉनरेगुलेशन जिला बनाया गया। इसका मुख्यालय दुमका में रखा गया।

3. 1855 के नियमावली का अनुसरण करते हुए यहां पुलिस नियमावली, 1856 की व्यवस्था स्थापित हुई।

4. पुलिस नियमावली, 1856 के अनुसार संथाल परगना क्षेत्र के गांवों में मुखियाओं तथा ग्राम पदाधिकारियों को शक्ति प्रदान की गई। परगनैत, मांझी तथा मंडल को पुलिस शक्ति प्रदान की गई। देश मांझी, चौकीदार तथा गोराइत उनकी मदद करते थे। संथालों तथा सहायक आयुक्तों के बीच अब कोई मध्यस्थ नहीं था। मुकदमों का मौखिक रूप से निपटारा किया जाता था। अपराधी तथा नागरिक दोनों प्रकार के मुकदमों का निपटारा ग्राम पदाधिकारियों के सहयोग से किए जाते थे। भागलपुर के कमिश्नर जार्ज यूल के नाम पर इसे जार्ज यूल रूल के नाम से जाना जाता है।

Scanned with CamScanner